

प्रस्तावित 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला पारेषण लाईन के लो.
नम्बर 278 से 281 तक व्यपवर्तन कार्य

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने
का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर की ECO-Value के आधार पर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित होगा, इस राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी जमा करने के लिए वचन बद्ध है।



(सुभाष चन्द्र भगत)

कार्यपालन अभियन्ता

अति उच्च दाब (संधारण) संभाग

छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित, कोरबा (छ.ग)